

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

चतुर्थ मंजिल, ब्लॉक पॉच, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

फोन : 0141-2719073

Email : samsauniform@gmail.com

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/आरटीई/यूनिफॉर्म/2024-25

दिनांक :- As E-Sign

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी

एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समस्त जिलें।

विषय:- यूनिफॉर्म (सिलाई सहित) एवं स्कूल बैग हेतु सहायता राशि की डी.बी.टी के लिए जनाधार अधिप्रमाणित करवाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बजट घोषणा 29.00.00 (वर्ष 2024-25) "आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र-छात्राये विद्यालय में हीन भावना से ग्रस्त न हो तथा उन्हें भी शिक्षा हेतु आवश्यक स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा एक से आठवीं तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा नौ से बारहवीं तक की छात्राओं को आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी एक हजार रुपये की सहायता प्रदान किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ। इस प्रकार लगभग 70 लाख (सत्तर लाख) विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे।" के संबंध में वित्त विभाग द्वारा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक समस्त विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को यूनिफॉर्म (सिलाई सहित) एवं स्कूल बैग हेतु सहायता राशि रुपये 800/- प्रति विद्यार्थी डी.बी.टी. किये जाने की सहमति प्रदान की गई है।

उक्त क्रम में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक समस्त विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को यूनिफॉर्म (सिलाई सहित) एवं स्कूल बैग हेतु सहायता राशि रुपये 800/- प्रति विद्यार्थी की डी.बी.टी. विद्यार्थियों के जनाधार अधिप्रमाणित लिंक बैंक खाते में की जानी है। इस हेतु विद्यार्थियों के जनाधार शालादर्पण पोर्टल पर अधिप्रमाणित करवाया जाना अनिवार्य होता है।

उक्त के संदर्भ में शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के शालादर्पण पोर्टल पर जनाधार अधिप्रमाणित करवाये जाने हेतु समय-समय पर आपको निर्देशित किया गया था, किंतु आज दिनांक तक शालादर्पण पोर्टल पर जनाधार अधिप्रमाणित करवाने के कार्या में कोई प्रगति नहीं हुई है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले के समस्त अधीनस्थ अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर जनाधार से वंचित विद्यार्थियों को जनाधार बनाने के लिए प्रेरित करते हुए 3 दिवस में समस्त विद्यार्थियों के शत-प्रतिशत जनाधार शालादर्पण पोर्टल पर अधिप्रमाणित करवाया जाना सुनिश्चित करें। उक्त के अभाव में विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म (सिलाई सहित) एवं स्कूल बैग की सहायता राशि से वंचित रहने पर आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(अनुपमा जोरवाल)

राज्य परियोजना निदेशक, आयुक्त
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर

प्रतिलिपी:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, रास्कूशिप, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
4. अति. राज्य परियोजना निदेशक (द्वितीय), रास्कूशिप, जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रा./मा. शिक्षा समस्त जिलों को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ विद्यालयों को निर्देश जारी कर शतप्रतिशत जनाधार अधिप्रमाणित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified

Digitally Signed by Anupama
Jorwal
Designation : State Project
Director
Date :19-03-2025 01:38:29